1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भंडारीसेरा – सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत नरगोली–सिमायल–भंडारीसेरा –सलिया–जग्यूड़ाबास (सेराघाट मिलान) मोटर मार्ग (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव नरगोली आवादी (217) सिमायल (127) भंडारीगांव (442) सलिया (27) एवं कफाली त्रिगुड़ा (52) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा खातीगांव–नरगोली–चन्तोला मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त 3.52 है0 वन भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ यू.सी.पी./ 06/144/2.013 / एफ.सी/ 152 दिनांक 25.09.2013 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं लो.नि.वि. द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन सूचना नोडल अधिकारी, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जा चुकी है जिस पर शीघ्र ही विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग को नरगोली नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है जो उपरोक्त ग्रामों से होते हुए सेराघाट नामक स्थान पर अल्मोड़ा–सेराघाट राष्ट्रीय राज्य मार्ग में मिल जायेगा। इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि0मी0 आती है। क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन की सुविधा न होने से पलायन काफी अधिक बढ़ गया है एवं गांव खाली होते जा रहे हैं जिस कारण कृषि भूमि बंजर होती जा रही हैं। उपरोक्त सीमान्त ग्राम वन क्षेत्र के निकट बसे है और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए वनों पर आधारित रहते है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की कुल 865 स्थानीय जनता को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। मार्ग के संरेखण में 2.4342 है0 वन भूमि एवं विभिन्न व्यास के कुल 167 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर